(2) (3)(1)

Tahsil: Soncachha

District: Dewas

1. Org. Vill.—Khootkheda Superintendent of Land 2. New Vill.—Malpura Records (permanent), P.H.No.—10. District-Dewas.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-18-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

तहसील : हुजूर

जिला: भोपाल

अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम

- (1)(2)
 - (3) अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. मूल ग्राम—कानासैया
 - 2. नवीन ग्राम—अनंतपुरा 3. नवीन ग्राम-शांतिनगर
 - (नियमित) जिला भोपाल.
 - प.ह.नं. 20.
- 1. मूल ग्राम—पुरा छिन्दवाड़ा 2. नवीन ग्राम—शेखपुरा
 - प.ह.नं. 1.
- 1. मूल ग्राम—बालमपुर 2. नवीन ग्राम-देहरी प.ह.नं. 17.
- 1. मूल ग्राम—नरोन्हा सांकल 2. नवीन ग्राम-पडरिया सांकल प.ह.नं. 22.
- 1. मूल ग्राम—आदमपुर छावनी
 - 2. नवीन ग्राम-छावनी पठार
 - 3. नवीन ग्राम—हरीपुरा (अर्जुन नगर) प.ह.नं. 21.
- 1. मूल ग्राम—परवलिया सड़क 2. नवीन ग्राम-शाहपुरा प.ह.नं. 3.
- 1. मूल ग्राम—अगरिया 2. नवीन ग्राम-छापर

प.ह.नं. 13.

- (2) (1)
- 8. 1. मूल ग्राम-इस्लामनगर 2. नवीन ग्राम-मस्तीपुरा
- (नियमित) जिला भोपाल.
- 1. मूल ग्राम—तूमडा

प.ह.नं. 12.

- 2. नवीन ग्राम—पाटनिया
- 3. नवीन ग्राम—अययापुर
- 4. नवीन ग्राम-राजीव नगर प.ह.नं. 36.

तहसील : बैरसिया

जिला: भोपाल

10. 1. मूल ग्राम—ललोई 2. नवीन ग्राम—उंची ललोई प.ह.नं. 30.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)

(3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख,

जिला भोपाल. 11. 1. मूल ग्राम—जमूसरखुर्द

2. नवीन ग्राम-लालुखेड़ी प.ह.नं. 14.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-18-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-18-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-18-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil: Hujur

District: Bhopal

Designation of the Officer S. No. Name of original village authorized to prepare record of rights

(1) (2) (3)

1. 1. Org. Vill.—Kanasaiya 2. New Vill.—Anantpura Superintendent of Land Records (permanent),

3. New Vill—Shantinagar

District—Bhopal.

P.H.No.—3.

(1) (2) (3)

- Org. Vill.—Pura Chindvada Superintendent of Land
 New Vill.—Sekhpura Records (permanent),
 P.H.No.—01. District—Bhopal.
- Org. Vill.—Balampur
 New Vill.—Dehri
 P.H.No.—17.
- Org. Vill.—Narohna Sankal
 New Vill.—Padariya Sankal
 P.H.No.—22.
- Org. Vill.—Adampur Chavni
 New Vill.—Chavni Pathar
 New Vill.—Haripura (Arjun Nagar)
 P.H.No.—21.
- Org. Vill.—Parvaliya Sadak
 New Vill.—Shapura
 P.H.No.—03.
- Org. Vill.—Aagariya
 New Vill.—Chapar
 P.H.No.—13.
- Org. Vill.—Islamnagar
 New Vill.—Mastipura
 P.H.No.—12.
- Org. Vill.—Toomda
 New Vill.—Patiniya
 New Vill.—Ayyapur
 New Vill.—Rajeev Nagar P.H.No.—36.

Tahsil: Berasiya

District: Bhopal

10. 1. Org. Vill.—Laloi2. New Vill.—Onchi LaloiP.H.No.—30.

Superintendent of Land Records (permanent), District—Bhopal.

Org. Vill.—Jamusarkhurd
 New Vill.—Lalukhedi
 P.H.No.—14.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-19-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : इंदौर

जिला : इंदौर

क्र. ग्राम का नाम एवं अधिकार अभिलेख तैयार प.ह.नं. करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(1) (2)

मूल ग्राम—पेडमी अधीक्षक, भू-अभिलेख,
 नवीन ग्राम—तेलियाखेड़ी (नियमित)
 म.ह.नं. 35. जिला इंदौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-19-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-19-2013-सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

> > Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-19-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil: Indore

District: Indore

S. No. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(1) (2) (3)

Org. Vill.—Pedmi Superintendent of Land
 New Vill.—Teliyakhedi Records (permanent),
 P.H.No.—35. District—Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.